न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार– I आर.ए.एस.)

दर्ज दिनांक : 19.03.2026

वाद पत्र सं. 43 / 2026

1. कैलाशचन्द्र बनाम माया देवी आदि

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री हेमन्त शर्मा
प्रतिवादीगणः–श्री लीलाधर प्रजापत

प्रार्थना पत्रः– आदेश–07 नियम–11
सिविल प्रक्रिया संहिता–1908

: निर्णय :

न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त अनुवानी दावा में प्रतिवादी सं. 02 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि

1. उपरोक्त अनवानी वाद वादी कैलाशचंद पुत्र देवीदत सरावगी खसरा सं 2574 / 2365 तादादी 3.4521 हेक्टेयर व खसरा सं. 3017 / 1985 तादादी 0.3794 हेक्टेयर वाकै रोही साहवा का तथ्यों को छुपाकर गलत याद पेश किया है उक्त खसरा नं. 3017 / 1985 का खाता विभाजन होकर अलग रंग भरकर प्रतिवादी सं. 2 अपने राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार कृषिभूमि पर काबिज है कैलाशचंद्र पुत्र देवीदत ने झूठी कहानी बनाकर गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है इसलिये हस्तगत प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है।
2. हस्तगत वाद पत्र में दर्शाया गया खसरा सं. 3017 / 1985 तादादी 0.3733 हैक्टेयर वाके रोही साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू उक्त कृषि भूमि पर प्रतिवादी सं. 2 उसके रिकॉर्ड व प्रतिवादी सं. 1 द्वारा सम्भलवाये गये कब्जे के अनुसार ही अपनी 0.3794 हैक्टेयर खातेदारी कृषिभूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है वादी ने मद सं. 2 में स्वीकार किया है कि प्रतिवादी का खसरा मेरे चिपते ही स्थित चला आ रहा है। जबकि वादी ने अपने अनुतोष में कहा है कि जब तक नक्शा शुद्ध कर तरमीम नही हो जाता के बारे में बताते हुये कैलाश चंद्र पुत्र देवीदत सरावगी द्वारा झूठा वाद पत्र पेश कर न्यायालय को मुगालते में रखते हुये न्यायालय के समक्ष फ्रोड़ प्ले कर गलत अनुतोष प्राप्त करना चाहता है उपरोक्त कानूनी स्थिति से वादी का वाद पत्र सुसंगत प्रावधानों से बार्ड बाई, लॉ होने से प्रथम दृष्ट्या ही आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के मुताबिक खारिज किये जाने योग्य है ।
3. ख. नं. 3017 / 1985 तादादी 0.3794 [illegible] से ही विभाजीत थी जो कि प्रतिवादी सं. 2 ने माया देवी से उक्त [illegible] बेचाननामा दिनांक 16.03.2022 को हो चुका है वादी एवं प्रति[illegible] संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि नहीं रही है। वादी ने वर्ष 2012 में खरीद की थी जो वाद प[illegible] दर्शाये खसरानुसार क[illegible]त कर लिया था

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:30:23 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

आज भी उस खसरे मे ही काबिज है तथा प्रतिवादी सं 2 ने वर्ष 2022 में वैयनामा करवाया था वादी मद संख्या 1 में वादी स्वयं स्वीकार कर रहा है कि प्रतिवादी सं. 1 का नाम खातेदारी में दर्ज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में दिनाक 16.03.2022 को माया देवी ने उक्त ख. सं. 3017/1985 को सम्पूर्ण कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 2 को विक्रय कर दिया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 का संयुक्त खसरा कभी नहीं रहा। जबकि दोनो खसरे शुरूवात से ही अलग अलग कायम थे। प्रतिवादी सं. 2 के खसरा नम्बर 3017/1985 से पहले जब वादी ने खरीद की थी उस समय ही विभाजित हो गई थी कई वर्ष बाद प्रतिवादी से विवाद रखने के लिये उक्त खसरे के बारे में झूठा वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी सं. 2 अब अपने राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार एवं मौका नक्शा, सम्भलवाये गये कब्जे के अनुसार काश्त करता चला आ रहा है। जबकि वादी ने झूठी कहानी बनाकर वाद प्रस्तुत किया है जो कि कानूनन न्याय एवं धोखाधड़ी दोनो एक साथ कभी नहीं चल सकते। विधि द्वारा वर्जित होने के बाद भी वादी ने वाद पेश किया है। इसलिए हस्तगत वाद काबिले खारिज है।

4. खं. नं. 3017/1985 का राजस्व नक्शा एवं राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उक्त नक्शा रकबे का सही दर्शाया गया है इसी अनुसार प्रतिवादी सं. 2 कब्जा काश्त के अनुसार काबिज है वादी द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त वाद न्यायालय के समक्ष पेश किया है इसलिये हस्तगत वाद काबिले खारिज है।

5. हस्तगत वाद प्रार्थना पत्र के खसरा सं. 3017/1985 अलग से ही विभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड नक्शा के अनुसार सही है तो वादी द्वारा मद सं. 5 में लिखा वाद कारण एवं वादाधार का प्रश्न ही नही उठता। वादी काफी लोभी, लालची, उंची राजनैतिक पहुंच वाला, धनबल व बाहुबल का धनी व्यक्ति है। जो हर समय प्रतिवादी सं. 2 को धमकी देता है कि आपको कभी भी फसल काश्त नही करने दूंगा। हमेशा आपके साथ ऐसे ही झगड़ा फसाद करता रहूंगा ताकि आप अपनी अलग विभाजित भूमि सही ढंग से काश्त नहीं कर सके। जब प्रतिवादी सं 2 का खसरा ही अलग है यदि यादी ने चतुर अभिवचन पद्धति से जरिये वादपत्र में वाद हैतुक मौजूद होने का भ्रम पैदा कर दिया है तो पहली सुनवाई में ही ऐसे वाद को आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी की शक्तियों का प्रयोग कर खारिज कर देना चाहिए इसलिए वाद पत्र काबिले खारिज किये जाने योग्य है।

इस सन्दर्भ में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त सादर सेवा में प्रस्तुत है :-

(क) माननीय उच्चतम न्यायालय ने सोपान सुखदेव सावले व अन्य बनाम सहायक चौरीटी कमीश्नर व अन्य (एस.सी.सी. 2004 पार्ट 3 पेज संख्या 137) में अभिनिर्धारित किया है कि यदि आदेश 07 नियम 11 में उल्लेखित कोई भी कारक किसी वाद पत्र में पाये जाते हैं या उनमें कमी पाई जाती है तो न्यायालय द्वारा विपक्षी के आवेदन पर अथवा स्वयं अपनी शक्तियों का प्रयोग करके प्रकरण की कार्यवाही के किसी भी स्तर पर वाद को खारिज किया जा सकता है।

(ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने सलीम भाई बनाम महाराष्ट्र राज्य (एम.सी.सी. 2003 पार्ट 1 पेज सं. 557) में अभिनिर्धारित किया है कि आदेश 07 नियम 11 की शक्तियों का प्रयोग न्यायालय द्वारा किसी भी स्[illegible] को पंजीकृत करने से पहले प्रतिवादी को समन करने के बाद [illegible] पूर्व किया जा सकता है।

(ग) माननीय उच्चतम [illegible] बन्दानंदम बनाम टी.वी. सत्यपाल एवं अन्य (एस.सी.सी. 1977 पार्ट 4 पेज संख्या [illegible]) में अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:30:23 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
धूरू

यदि वाद पत्र को अर्थ पूर्ण रूप से पढ़ने पर (न कि केवल औपचारिक रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट रूप से पता लगता हो कि वादपत्र गुणहीन है (मुकदमा करने से स्पष्ट अधिकार का खुलासा नहीं करने के अर्थ में) तो न्यायालय को आदेश 07 नियम 11 सी. पी.सी. की शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। यदि वादी ने चतुर अभिवचन पद्धति से जरिये वादपत्र में वाद हैतुक मौजूद होने का भ्रम पैदा कर दिया है तो पहली सुनवाई में ही ऐसे वाद को आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. की शक्तियों का प्रयोग कर खारिज कर देना चाहिए

(घ) 2008 (2) RLW 1390 (Raj.)
(Rajasthan High Court)
Hon'ble PRAKASH TATIA
Thakur Shri Mathuradassji Chhota Bhandar
Versus
Shri Kanhaiyalal & Ors
S-B-Civil First Appeal No-232 of 2005] decided on 18th February 2008
C.P.C-1 Order 7 Rule 11] Sec-151 & Dismissal of suit & Abuse of law and process of the Court Held & Paint can be rejected on the grounds mentioned in Order 7 Rule 11 C-P-C like the suit is Held & Plaint can be rejected on the grounds mentioned in Order 7 Rule 11 C.P.C. like the suit is barred by law or it does not disclose the cause of action or proper Court fees has not been paid even after order of the Court & If the suit is abuse of process of the Court and cannot be dismissed U/O-72-11 C-P-C then the Court is not helpless and can dismiss the suit invoking powers U/S- 151 C.P.C.

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन व सम्मानित न्यायिक विनिश्चयों के अनुसरण में मूल बाद विधि द्वारा वर्जित होने से किसी भी प्रकार से कानूनन चलने योग्य नहीं है व इसी बिनाय पर आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत प्रथम दृष्ट्या ही खारिज किये जाने योग्य है।

6. हस्तगत वाद में दर्शित कृषिभूमि खं नं. 3017 / 1985 तादादी 0.3739 हैक्टेयर वादी द्वारा राजस्व नक्शा अधिक बड़ा होना बताकर नाजायज फायदा उठाना चाहता है। उक्त कृषिभूमि का राजस्व नक्शा के अनुसार ही प्रतिवादी सं. 2 अपने हिस्से की कृषिभूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग में लेता आ रहा है। वादी ने तहसीलदार व राजस्व अधिकारीयों से मिलीभगत कर एक झूठी रिपोर्ट कर न्यायालय के समक्ष पेश की है जिसमें नजरी नक्शा साथ लगा हुआ है जिसमे उक्त खसरा नं. 3017 / 1985 का अंकन ही नहीं किया गया बल्कि आस पास किसी दूसरे अन्य खसरो को तोड़ मरोड़ के दर्शाया गया है जबकि मौके के अनुसार प्रतिवादी सं. 2 का खेत रोड़ के उत्तर साइड स्थित चला आ रहा है जबकि वादी ने गलत रिपोर्ट पेश की है इसलिये हस्तगत वाद काबिले खारिज है।

7. हस्तगत वाद के खं. नं. 3017 / 1985 तादादी 0.3739 हैक्टेयर वाके रोही साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू के राजस्व रिकॉ... शुद्ध कर तरमीम करवाने का कोई अधिकारी नही है। क्योकि ... अनुसार खसरा नं. 3017 / 1985 जो कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं. 2 के ... जिस पर प्रतिवादी सं. 2 कब्जा काश्त होकर अपने उपयोग उपभोग में लेता आ रहा है। उक्त कृषिभूमि बाबत तथ्यो को छुपाते हुये

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:30:23 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

झूठा शपथ पत्र नक्शा शुद्ध होकर तरमीम नही हो जाता बताते हुये माननीय न्यायालय को मुगालते में रखते हुये धोखाधड़ी पूर्वक उद्देश्य से पेश कर माननीय न्यायालय का समय बर्बाद बाद बहुलता बढ़ाने व सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया को दुषित करने का कुसगत प्रयास कर प्रतिवादी सं. 2 को हैरान परेशान व मानसिक क्षति पहुंचाने के देश्य से हस्तगत वाद में दर्शित खं नं. 3017 / 1985 तादादी 03794 हैक्टेयर भूमि बाबत तथ्य छुपाकर झूठा शपथ पत्र न्यायालय के समक्ष फ्रोड प्ले करने के उद्देश्य के अपराध में वादी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुये हस्तगत वाद भारी कोस्ट माकुल तादादी हर्जा खर्चा के खारिज फरमाने के आदेश सादर फरमायें।

8. प्रतिवादी सं. 2 ने प्रतिवादी सं. 1 से जरिये वैयनामा दिनांक 16.03.2022 को 0.3794 हैक्टेयर कृषिभूमि क्रय की थी जिसके बाद से ही प्रतिवादी सं. 2 अपनी 0.3794 हैक्टेयर कृषिभूमि पर राजस्व रिकॉर्ड नक्शा अनुसार कब्जा काश्त होकर अपने उपयोग उपभोग में लेता आ रहा है। उक्त कृषिभूमि का राजस्व नक्शा के अनुसार ही प्रतिवादी सं. 2 अपने हिस्से की कृषिभूमि पर काबिज है। इसलिये हस्तगत वाद काबिले खारिज है।
9. स्थल निरीक्षण आयुक्त ने प्रतिवादीगण को बिना सूचना दिये ही वादी के बताये अनुसार घर पर बैठ कर ही प्रतिवादी संख्या 2 का कब्जा नही बताते हुए नजरी नक्शा में कही पर भी प्रतिवादी संख्या 2 के खेत खसरा नं. 3017 / 1985 को नहीं दर्शाया है जबकि प्रतिवादी सं. 2 दिनांक 16.03.2022 से लेकर आज तक उक्त कृषिभूमि अपने कब्जे में लेकर उपयोग उपभोग में ले रहा है। स्थल निरीक्षण आयुक्त ने गलत रिपोर्ट पेश की है जो गलत है। वादी प्रतिवादी सं. 2 की खरीदशुदा कृषिभूमि अपने राजस्व रिकॉर्ड में मिलाना चाहता है इसलिये वादी ने यह झूठा वाद खिलाफ प्रतिवादीगण दायर किया है जो काबिले खारिज हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त अनवानी वाद उपरोक्त वर्णित आधारो पर आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के मुताबिक मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें। श्रीमानजी की बड़ी कृपा होगी।

वादी की ओर से इस प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि

1. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 गलत लिखने से स्वीकार नही, वादी द्वारा अपने खातेदारी की जमीन खसरा नं. 2574 / 2365 रकबा 3.4521 हैक्टयर की भूमि जो वादी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त भूमि के चिपते खसरा नं. 3017 / 1985 रेवेन्यू नक्शे में दर्शाया हुआ है। जिसे नक्शे में वादी के खसरा की भूमि को नक्शे में छोडी दर्शाते हुए उसके पास खसरा नं. 3017 / 1985 दर्शाया गया, है, तथा मौके पर उक्त खसरे की भूमि टादी के खसरे में नही है। नक्शा मौके की स्थिति के अनुसार नही है। इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का साहवा एवं उपतहसीलदार साहवा द्वारा मौका का निरीक्षण भी किया गया है तथा नजरी नक्शा भी बनाया गया है। जिससे भी स्थिति स्पष्ट है कि खसरा नं. 3017 / 1985 जो ०. 3794 हैक्टर कृषि भूमि है जिसका नक्शा मौके की स्थिति के अनुसार नही है। खसरा नं. 3017 / 1985 का खाता विभाजन होकर अलग नं. प्रतिवादी सं. 2 का अपने राजस्व रेकार्ड के अनुसार कृषि भूमि पर काबिज होना गलत लिखा गया है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 गलत लिखने से स्वीकार नही, खसरा नं. 3017 / 1985 का खाता विभाजन होकर अलग नं. प्रतिवादी सं 2 का अपने राजस्व रेकार्ड के अनुसार कृषि भूमि पर काबिज होना गलत लिखा गया है तथा प्रतिवादी द्वारा काश्त करना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:30:23 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

भी गलत लिखा गया है मौके पर प्रतिवादी की भूमि नही है। इसीलिये गलत नक्शे के आधार प वादी की भूमि पर काबिज होने के लिए प्रयासरत था। इसलिए नक्शा तरमीन करवाने का दावा प्रस्तुत किया गया है जिसको वादी को अधिकार है। किसी तरह का फोड प्ले वादी दावा दावे में नहीं किया गया है। दावे के तथ्य मौके व अपने खातेदारी की भूमि व कब्जे के सम्बन्ध में सही तथ्य दावे में लिखे गये है। प्रतिवादी के पास कोई भूमि का कब्जा काश्त नही है। नक्शा खसरा नं. 3017 / 1985 का. मौके की स्थिति के अनुसार व कानूनन सही नही है। वादी की भूमि जो 34521 हैक्टयर है जबकि खसरा नं. 3017 / 1985 की भूमि तादादी 0.3739 हैक्टयर है, फिर भी नक्शे में लम्बाई चौडाई वादी से तुलनात्मक क्षेत्रफल के प्रतिवादी की ज्यादा दर्शाई गई है व वादी की कम दर्शाई गई है व नक्शा के आसा पासा के खेत के खसरा से भी स्थिति स्पष्ट हो रही है कि प्रतिवादी का खसरा नं. 3017 / 1985 सही नही है, जिसे तरमीन व रिकार्ड में नक्शा दुरूस्त करने का वादी को अधिकारी है। जिस बावत यह दावा है जो किसी भी विधि द्वारा वर्जित नही है।

3. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 गलत लिखने से स्वीकार नही मयादेवी द्वारा प्रतिवादी सं. 2 को विकय की गई भूमि मौके पर नहीं है। नक्शा 3017 / 1985 का गलत पूराने चूदडी के नक्शे से अलग मौके की स्थिति की विपरीत बनाया हुआ है, जिसकी आड में वादी की भूमि पर प्रतिवादी काबिज होना चाहता है, जिसे वर्जित करवाने व नक्शे को दुरूस्त करवाने का वादी को अधिकार है जिसके हेतु यह दावा है जो किसी विधि द्वारा वर्जित नहीं है।

4. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 व 5 गलत लिखने से स्वीकार नही, नक्शा 3017 / 1985 का नक्शा राजस्व रिकार्ड के अनुसार नही है। वादी की भूमि पर उक्त गलत नक्शे की आड में' कब्जा करना चाहता है। वादी व्यापारी समुदाय से है किसी तरह का राजनैतिक पहुंच, धनबल व बाहुबल वादी के पास नहीं है। इसीलिये माननीय न्यायालय में न्याय प्राप्ति हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। वादी को वाद हेतुक प्राप्त है व दावा कानून सम्मत है तथा इस सम्बन्ध में प्रतिवादी द्वारा जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किय गये है वह वादी के दावे पर लागू नही होते क्योकि दावा कानून सम्मत है किसी भी प्रकार की कमी दावे में नही है। दावा किसी भी तरह से कानून के खिलाफ नही है। यादी अपनी खसरे की भूमि पर काबिज है जिस पर अतिक्रमण करने से रोकना का वादी को अधिकार है।

5. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 6 व 9 गलत लिखने से स्वीकार नहीं। तहसीलदार व राजस्व अधिकारियो से मिलीभगत करके जुही रिपोर्ट तैयार करवाकर प्रस्तुत करने जैसे तथ्य गलत लिखे गये है। पटवारी व उपतहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर नफाई की गई व सही रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादी का नक्शे के अनुसार कब्जा काश्त नहीं है तथा खसरा नं. 3017 / 1985 गलत बनाया हुआ है। स्थल निरीक्षण आयुक्त द्वारा गलत नक्शा बनाने जैसे तथ्य गलत लिखे गये है। प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

विशेष आपति

6. यह कि प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं है कि वादी द्वारा प्रस्तुत दावा किस कानून के अन्तर्गत वार्ड है कौन से कानून के विपरीत है।

7. यह कि प्रतिवादी का डिफे[illegible] होता। प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

8. यह कि अनुवानी दावा में प्र[illegible] व विधि के आधार पर तय किया जाना है। कानूनन [illegible] नहीं है। वादी को बिनाये दावा, बिनाय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:30:23 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

मुखास्मत अपने खातेदारी की भूमि जिस पर वादी काबिज है जिस पर प्रतिवादी को प्रवेश से वर्जित करवाकर बाधा नही डालने हेतु दावा प्रस्तुत करने का अधिकार है व गलत नक्शा खसरा नं. 3017/1985 का राजस्व रिकार्ड में गलत है जिसे दुरूस्त करवाने का भी वादी को अधिकार है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

9. यह कि प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में रूलिंग का जो हवाला दिया गया वह रूलिंगस वादी के दावा पर लागू नहीं होती। प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र में रूलिंगस/साईटेंशन का वर्णन करना कानून एवं नियम के विपरीत है।

अतः जबाव प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

10. पत्रावली बहस में नियत की गई। प्रतिवादी के अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से एकक्षीय बहस सुनी गई।

11. वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री ने इन तर्कों का खंडन करते हुए कहा कि वादी का मुख्य विवाद यह है कि प्रतिवादी की भूमि का नक्शा मौके की स्थिति के विपरीत बहुत बड़ा बना दिया गया है, जिसकी आड़ में वह वादी की भूमि को दबाना चाहता है। वादी अपनी भूमि का काबिज काश्तकार है। यदि पड़ोसी खसरे का नक्शा गलत होने से वादी के हित प्रभावित हो रहे हैं, तो उसे वाद लाने का पूर्ण अधिकार है। प्रतिवादी जो भी तर्क दे रहा है (जैसे कब्जा, विभाजन, या बैनामा), वे सभी साक्ष्य और गवाही के विषय हैं। आदेश 07 नियम 11 के तहत केवल वाद–पत्र के कथनों को देखा जाना चाहिए। वादी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि नक्शा तरमीम न होने तक उसे खतरा है। मात्र अपनी भूमि के लिए विशिष्ट अनुतोष न चाहने से वाद खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुख्य विवाद 'नक्शा तरमीम' और 'अतिक्रमण रोकने' से जुड़ा है। राजस्व रिकॉर्ड का नक्शा और मौके की वास्तविक स्थिति में भारी अंतर है। प्रतिवादी के खसरे का क्षेत्रफल नक्शे में वादी की भूमि की तुलना में गलत तरीके से बढ़ाकर दिखाया गया है। प्रतिवादी जो तर्क दे रहा है (जैसे कब्जा, बैनामा, विभाजन), वे प्रतिवादी का "बचाव" हैं। आदेश 07 नियम 11 के तहत केवल वाद–पत्र के कथनों को देखा जाना चाहिए, न कि प्रतिवादी की दलीलों को। वादी को अपनी खातेदारी भूमि की रक्षा करने और गलत रिकॉर्ड को दुरुस्त करवाने का वैधानिक अधिकार है। यह मामला साक्ष्य का है, इसे बिना साक्ष्य के तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता।

12. न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त शीर्षक वाले वाद में प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. पर वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध वाद–पत्र के कथनों व संलग्न दस्तावेजों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह आपत्ति उठाई है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्णतः काल्पनिक, विधिक प्रक्रियाओं के दुरुपयोग और तथ्यों को छुपाकर प्रस्तुत किया गया है।

13. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र में मुख्य रूप तर्क दिये कि वादी ने खसरा संख्या 3017/1985 को विवादित बताया है, जबकि उक्त खसरा प्रतिवादी संख्या 02 की निजी खातेदारी की भूमि है जो उसने दिनांक [illegible].2022 को पंजीकृत बैनामे के जरिए खरीदी है। वादी ने "चतुर अभिवचन" के माध्यम से न्यायालय को भ्रमित करने का प्रयास किया है। सबसे महत्वपूर्ण [illegible] के खसरे (2574/2365) की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:30:23 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

तरमीम या शुद्धि हेतु कोई अनुतोष नहीं चाहा है और न ही अपनी भूमि के संबंध में कोई चिरस्थाई निषेधाज्ञा मांगी है।

14. वादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया कि राजस्व नक्शा मौके की स्थिति के अनुसार नहीं है। प्रतिवादी का खसरा नक्शे में बड़ा दर्शाया गया है, जिससे वादी की भूमि पर अतिक्रमण का भय बना हुआ है। अतः वाद साक्ष्य का विषय है और इसे प्रारंभिक स्तर पर खारिज करना न्यायोचित नहीं होगा।
15. सिविल प्रक्रिया संहिता का यह स्थापित सिद्धांत है कि वादी को उसी संपत्ति के संबंध में अनुतोष मांगना चाहिए जिसमें उसका हित निहित हो। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी ने वाद–पत्र के 'अनुतोष खंड' में केवल प्रतिवादी के खसरा नंबर 3017/1985 के नक्शे को शुद्ध करने की बात कही है। वादी ने अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2574/2365 के नक्शे में तरमीम करने या इस पर अपने अधिकार घोषित करने का कोई भी विधिक अनुतोष नहीं चाहा है।
16. वादी ने यह आरोप तो लगाया है कि प्रतिवादी उसकी भूमि पर कब्जा करना चाहता है, किंतु कानूनन अपनी स्वयं की भूमि पर चिरस्थाई निषेधाज्ञा की मांग नहीं की है। बिना अपनी भूमि पर निषेधाज्ञा मांगे, केवल पड़ोसी के खसरे के विरुद्ध वाद लाना विधि की दृष्टि में पोषणीय नहीं है।
17. माननीय उच्चतम न्यायालय ने टी. अरविन्दानंदम बनाम टी.वी. सत्यपाल (AIR 1977 SC 2421) में यह स्पष्ट किया है कि यदि वाद–पत्र के अर्थपूर्ण पठन से यह प्रतीत हो कि वाद–कारण कृत्रिम है और केवल मुकदमेबाजी को बढ़ावा देने वाला है, तो ऐसे वाद को आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज कर देना चाहिए। वर्तमान मामले में, अपनी भूमि के लिए कोई राहत न चाहकर केवल दूसरे के रिकॉर्ड को चुनौती देना किसी भी ठोस 'वाद–हेतुक' सिद्ध नहीं होता है।
18. उपरोक्त विधिक विवेचना और पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में स्वयं की भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार के प्रभावी अनुतोष के अभाव में, प्रतिवादी के विरुद्ध कोई स्पष्ट वाद–कारण उत्पन्न नहीं होता है। वादी का वाद कानूनी रूप से अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण है। अतः

आदेश है कि

प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वादी कैलाशचंद्र द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज 29.04.2026 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:30:23 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार–I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. 43/2026 दर्ज दिनांक : 19.03.2026

1. कैलाशचन्द्र पुत्र देवीदत सरावगी निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू

.....वादी

बनाम

1. माया देवी पत्नि ब्रहानन्द जाति अग्रवाल निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू
2. काशीराम पुत्र चुनाराम जाति कुम्हार निवासी नेठवा तहसील तारानगर जिला चूरू
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री गोपाल प्रसाद शर्मा
श्री हेमन्त शर्मा
प्रतिवादीगणः–श्री लीलाधर प्रजापत

: पर्चा डिक्री :

प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वादी कैलाशचंद्र द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र खारिज किया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 29.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार–I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)
उप खण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:30:23 IST
Reason: SelfAttested